


# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/प्रशा/स्था/2018/ 169

दिनांक 22/9/18


## // कार्यालयीन आदेश //

मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र दिनांक 03 अगस्त 2018 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 में संशोधन कर नियम-25 के उपनियम (1) तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.08.2018 के बिन्दु क्रमांक-12 (अ-अ-4) पर लिये गये निर्णयानुसार परिनियम-31 के सेक्शन 52 (V) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों के अर्जित अवकाश का संग्रहण 240 के स्थान पर 300 दिवस प्रतिस्थापित किया जाता है।

  
कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. प्रभारी ऑडिट विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के निजी सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
8. समस्त, विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, अध्ययनशालायें, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
9. समस्त विभाग सहायक/उप कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
10. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
11. वेबसाईड पर अपलोड हेतु।

  
उप-कुलसचिव (प्रशा0)